तारीख हुक्म

30.9.24

पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे वकील वादी को अलोट मेन्ट प्रति पेश करने के लिए निर्देशित किया गया था। किन्तु आदेश की पालना पूर्ण नही कि गई। पत्रावली मे वकील वादी की एक तरफा। बहस पूर्व मे सुनी जा चुकी है, वाद वादी का दावा सिद्ध नही होने से खारीज किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिख। जाकर शामील पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

VK

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

दावा सं0 : 09/2021

1. घनश्याम पिता मेघा जी धाकड निवासी अमरपुरा तहसील बेगूँ
2. श्रीमती मांगीबाई पत्नी मेघा जी धाकड निवासी अमरपुरा तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. माधुलाल पिता नारायण धाकड निवासी कंथारिया तह0 बेगूँ
2. कैलाश पिता नारायण धाकड निवासी कंथारिया तह0 बेगूँ
3. गोपाल पिता नारायण धाकड निवासी कंथारिया तह0 बेगूँ
4. श्री भूमिधारी जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय जी बेगूँ
5. श्रीमान राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि जिला कलेक्टर महोदय, चितौडगढ़

उपस्थित ::– श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा
अधिवक्ता वादीगण

प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक ::– 30.09.2024

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 183–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण का वादपत्र इस प्रकार से है कि ग्राम कंथारिया पटवार हल्का रामपुरिया तहसील बेगूँ के राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में संवत 2070–2073 के खाता संख्या 119 में खसरा संख्या 417/322 रकबा 0.4800 हैक्टर कृर्षि आराजीयात वादीगण के नाम पर अवस्थित है। यह भूमि वादीगण के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की है।

यह कि प्रतिवादीगण कंथारिया के मूल निवासी है तथा वादीगण की भूमि के पडोस में प्रतिवादीगण की अन्य भूमि स्थित होने से प्रतिवादीगण के मन में हमेशा वादीगण की भूमि को हडपने एवं जबरन कब्जा कर लेने की बदनियति रहती है। इसलिए आए दिन वादीगण की भूमि पर वादीगण के शांतिपूर्वक कब्जे में तथा उपयोग उपभोग में कानूनन विरूद्ध प्रतिवादीगण हस्ताक्षेप करते रहते है, एवं कभी वादीगण की भूमि के चारो तरफ की गई चारदीवारी के कोट के पत्थर को गिरा देते है एवं कभी पशुओ को खेत के अन्दर घुसाकर फसल को नुकसान करा देते है। कुल मिलाकर प्रतिवादीगण वादीगण को परेशान एवं प्रताडित कर भूमि पर जबरन कब्जा कर लेने के अवसर मे एवं तैयारी में रहते रहे है।

यह कि वादीगण ग्राम अमरपुरा ग्राम पंचायत रामपुरिया के निवासी है तथा प्रतिवादीगण ग्राम कंथारिया के ही मूल निवासी है। वादग्रस्त उक्त वर्णित कृषि भूमि भी ग्राम कंथारिया में स्थित है जो ग्राम अमरपुरा से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रतिवादीगण ग्राम कंथारिया के ही निवासी होकर वाद वर्णित भूमि के नजदीकी पाडोसी है तथा प्रतिवादीण्गा जनबल धनबल में भी वादीगण से अधिक सक्षम होने से एवं राजनीतिक रसुखदार होने से प्रतिवादीगण ने वादीगण की उक्त वर्णित कृषि भूमि 417/322 रकबा 0.4800 हैक्टर पर दिनांक 15.07.2020 को कानून विरूद्ध तरीके से एवं ताकत के बल पर जबरन एलानिया तौर पर भूमि को ट्रेक्टर से हॉक कर जबरन कब्जा किया है जिसे वादीगण वापस प्राप्त करने के अधिकारी है।

यह कि वादीगण को न्यायालय द्वारा कब्जा विधिवत दिलाये जाने के पश्चात कभी भी प्रतिवादीगण वादीगण से भूमि को वापस विधि विरूद्ध ढंग से कब्जा छीन सकते है या वादीगण को न्यायालय के माध्यम से भूमि का कब्जा सिपुर्द किये जाने के पश्चात कभी भी वादीगण के उपयोग उपभोग में आये दिन हस्तक्षेप करके वादीगण को परेशान व प्रताडित कर सकते है, इसलिए वादीगण के पक्ष में इस आशय का स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश भी प्रदान किया जाया जाने हेतु यह वादपत्र प्रस्तुत है कि माननीय न्यायालय द्वारा वादीगण को भूमि को वापिस कब्जा दिलाये जाने के पश्चात प्रतिवादीगण वादीगण की वाद वर्णित भूमि के वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी तरह का हस्तक्षेप भविष्य में न तो स्वयं करे न किसी अपने पारिवारिक सदस्य से नौकर से एजेन्ट आदि से करावें।

यह कि वाद वर्णित उक्त भूमि में रबी (उन्हालू) की फसल लगभग 35000 रूपये मूल्य की होती है एवं खरीफ (सियालू) की फसल लगभग 30000 रूपये की होती है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की उक्त वर्णित कृषि भूमि पर अनाधिकार कब्जा कर लेने से वादीगण को प्रतिवर्ष 65000 रूपये का आर्थिक नुकसान होगा। यदि प्रतिवादीगण वादीगण को भूमि का कब्जा सिपुर्द नहीं करते है तो माननीय न्यायालय के माध्यम से वादीगण को उक्त भूमि का कब्जा सिपुर्द होने तक प्रतिवर्ष 65000 रूपये की राशि अन्तवर्ती (मिनप्रोफिट)

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चितौडगढ़)

रूप में प्रतिवर्ष दिलाये जाने का आदेश प्रदान किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत होगा जिसके लिए भी यह वादपत्र पेश है।

वाद कारण दिनांक 15.07.2020 को प्रतिवादीगण द्वारा ऐलानिया वादीगण की वाद वर्णित खातेदारी की भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी देकर दिनांक 15.07.2020 को ही वादीगण को उक्त वर्णित भूमि को ट्रेक्टर से हॉक कर कब्जा कर लेने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। यह कि वाद वर्णित भूमि माननीय न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से वादपत्र पेश है। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 इस वादपत्र में आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादी बनाये गये है।

अतः वादीगण माननीय न्यायालय श्रीमान आपसे निम्न अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है कि:–

(क) यह कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की आज्ञप्ति प्रदान की जावें कि वादीगण की ग्राम कंथारिया पटवार हल्का रामपुरिया में स्थित कृषि भूमि जिसके सम्वत 2070–2073 की राजस्व रिकॉर्ड के खाता संख्या 119 के खसरा नम्बर 417/322 रकबा 0.4800 हैक्टर भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण से वापस लिया जाकर वादीगण को उक्त भूमि का कब्जा सिपूर्द कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

(ख) यह कि वादीगण के पक्ष में यह स्थायी निषेधाज्ञा का आदो एवं आज्ञप्ति भी प्रदान करायी जावे कि ग्राम कंथारिया पटवार हल्का रामपुरिया में स्थित उक्त आराजीयात खसरा संख्या 417/322 रकबा 0.4800 हैक्टर भूमि का कब्जा विधिवत वादीगण को सिपुर्द किये जाने पश्चात प्रतिवादीगण वादीगण के वाद वर्णित भूमि पर शांतिपूर्व उपयोग उपभोग में एवं कृषि करने में तथा कृषि के लिए आने जाने में किसी तरह की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें और न ही अपने परिवार के सदस्य के द्वारा नौकर या अन्य व्यक्ति से करावें।

(ग) यह कि वादीगण को वाद वर्णित भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण से वापस लिया जाकर सिपूर्द होने तक प्रतिवर्ष वादीगण को प्रतिवादीगण से 65000 रूपये का अन्तवर्ती लाभ (मिनप्रोफिट) के रूप में दिलाये जाने का आदेश भी प्रदान कराया जावें।

(घ) यह क अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादीगण हो धारा 183 के अन्तर्गत वो भी प्रदान कराई जावें।

(च) यह कि वादीगण को प्रतिवादीगण से वाद व्यय एवं अधिवक्ता शुल्क भी प्रदान कराया जावें।

वादीगण का वादपत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 तक बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये जबकि प्रतिवादी संख्या 4व 5 भूमिधारी व पैरोकार सरकार की ओर से भूमिधारी न्यायालय मे उपस्थित आए किन्तु इस वादपत्र में वह फोर्मल पक्षकार होने से उनके द्वारा कोई जबावदावा प्रस्तुत नहीं किया गया। पत्रावली में वादीगण की एक तरफा साक्ष्य हेतु साक्ष्य शपथ पत्र वादी घनश्याम पिता मेघा जी धाकड निवासी अमरपुरा का प्रस्तुत किया जिन्होने साक्ष्य शपथ पत्र पर मुख्य परीक्षण के वक्त पत्रावली मे प्रस्तुत सभी दस्तावेज को प्रदर्श कराया एवं अपने बयान कलमबद्ध कराये वक्त मुख्य परीक्षण जिरह प्रकरण एकतरफा होने से निल रही तथा पुनः परीक्षण भी निल रहा है।

पत्रावली में वादीगण की एक तरफा साक्ष्य पूर्ण होने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध मामला एकतरफा होने से उनकी ओर से कोई जबाव व साक्ष्य न होने के उपरान्त प्रकरण में अधिवक्ता वादीगण की एकतरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया। अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस वादपत्र के अनुसार ही करते हुए वादीगण के खातेदारी की कृषि भूमि मौजा कंथारिया प0ह0 रामपुरिया की आराजी संख्या 417/322 रकबा 0.4800 हैक्टर भूमि पर से प्रतिवादीगण का कब्जा हटाते हुए कब्जा वादीगण को सिपुर्द किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का एवं मिनप्रोफिट की राशि दिलवाये जाने का निवेदन हमारे समक्ष किया गया है। साथ ही प्रतिवादीगण को वादी की जमीन का पडोसी होना तथा आए दिन परेशान करते रहे है।

हमारे द्वारा बहस अधिवक्ता वादीगण की एक तरफा की सुने जाने के उपरान्त पत्रावली में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी मौजा कंथारिया प0ह0 रामपुरिया की सं0 2070 की पेश की गई, जिसमें दर्ज आराजी संख्या 417/322 रकबा 0.4800 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री मेघा पिता बालू धाकड सा. अमरपुरा दर्ज अंकित है तथा जमाबंदी में नोट दर्ज किया हुआ है कि नामा0सं0 633 दिनांक 13.06.2016 से विरासत से मेघा के बजाय श्री घनश्याम केसीबाई नाराणीबाई पिता मेघा श्रीमति मांगीबाई प0 मेघा धाकड खातेदार का नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई साथ ही नोट अंकित है कि ई.नं. 661 दिनांक 02.04.2018 से रहन आई सी आई सी आई बैंक शाखा बेगूँ के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। एवं नोट अंकित है कि ई0नं0 660 दिनांक 13.01.2018 से हकत्याग से केसीबाई नारायणीबाई के बजाय घनश्याम पिता मेघा 3/4 मु0 मांगीबाई प0 स्व0 मेघा 1/4 सा0देह दर्ज हुआ है। इस प्रकार वर्णित कृषि भूमि के खातेदार वादीगण है। पत्रावली में प्रस्तुत प्रदर्श–2 नक्शाट्रेस आराजी का

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

किया है। बहस सुने जाने एवं सभी दस्तावेज के अवलोकन किये जाने के उपरान्त यह पाया गया है कि वादपत्र से तथ्य स्पष्ट नहीं होतें है कि प्रतिवादीगण वादी की कृषि आराजी पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है या जबरन कब्जा कर लिया है। वादपत्र में वादी ने यह तथ्य अंकित किया है कि कृषि भूमि पर चारो ओर पत्थर कोट के पत्थर को प्रतिवादीगण गिरा देते है मवेशी छोड देते है, जब ये सब कृत्य प्रतिवादीगण द्वारा वादी के विरूद्ध किए जाते रहे है तो वादी द्वारा इस सम्बन्ध में प्रथम ईत्तिला रिपोर्ट सम्बन्धित थाना में दर्ज क्यो नहीं करवाई तथा न्यायायल से उन्हें पाबंद कराने की कार्यवाही क्यो नहीं की गई। साथ ही वाद कारण दिनांक 15.07.2020 को उत्पन्न होकर दिनांक 15.07.2020 को प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा कर लिया गया, तो पहले प्रतिवादीगण के विरूद्ध थाने में रिपोर्ट करानी थी, साथ ही वादी द्वारा यह वादपत्र 05.01.2021 को पॉच माह पश्चात प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण के कब्जे किए जाने की पुष्टि में अपने स्वयं का साक्ष्य हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, वादी द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा कर लिये जाने की पुष्टि हेतु कोई स्वतंत्र गवाह इस दावा पत्रावली में प्रस्तुत नही किए है। साथ ही वर्णित कृषि भूमि बैंक के रहन दर्ज भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 जों कि कृषि भूमि से कब्जा पुनः प्राप्त कराने के लिए है में कब्जा अन्य का होना बयानो के माध्यम से सिद्ध कराना होता है।

उपरोक्त सभी तथ्यो से वादी का वादपत्र साक्ष्य सबूत एवं स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत नहीं किए जाने के अभाव में प्रतिवादीगण का कब्जा वादी की भूमि में होना सिद्ध नही होता है। वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 183–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का साक्ष्य सबूत के आधार पर सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी), बेगूं

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा सं0 : 09/2021

1. घनश्याम पिता मेघा जी धाकड निवासी अमरपुरा तहसील बेगूँ
2. श्रीमती मांगीबाई पत्नी मेघा जी धाकड निवासी अमरपुरा तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. माधुलाल पिता नारायण धाकड निवासी कंथारिया तह0 बेगूँ
2. कैलाश पिता नारायण धाकड निवासी कंथारिया तह0 बेगूँ
3. गोपाल पिता नारायण धाकड निवासी कंथारिया तह0 बेगूँ
4. श्री भूमिधारी जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय जी बेगूँ
5. श्रीमान राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि जिला कलेक्टर महोदय, चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल लाल धाकड की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री ..... की अनुपस्थिति में वाद अ.धा. 183–188 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 30.09.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 183–188 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता है:–

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 183–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का साक्ष्य सबूत के आधार पर सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता हैं।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 30.09.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
(उपखण्ड अधिकारी)